

10

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर

(म.प्र.)

III/निगरानी/सीहोर/भूरा/2017/4252

मेघराज आ० हीरालाल,

निवासी ग्राम हथलेवा व

कृषक ग्राम परसवाड़ा,

तहसील-बुदनी, जिला-सीहोर (म.प्र.)

—निगरानीकर्ता

विरुद्ध

रामेश्वर आ० रामप्रसाद,

निवासी ग्राम हथलेवा, तह.बुदनी,

जिला-सीहोर (म.प्र.)

—प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

महोदय,

निगरानीकर्ता विद्वान अनुविभागीय अधिकारी बुदनी जिला-सीहोर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 55/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 15/09/2017 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है :-

:: प्रकरण के तथ्य ::

- 1) यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शाहगंज के राजस्व प्रकरण क्रमांक 62/अ6/15-16 में इस आदेश का आवेदन-पत्र दिनांक 09/11/2016 को प्रस्तुत किया कि आवेदक साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति चाही गई परंतु अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शाहगंज द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र निरस्त कर प्रकरण का अन्तिम आदेश दिनांक 17/11/2016 को पारित दिया गया है ।
- 2) यह कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/11/2016 के विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बुदनी में समयावधि में अपील प्रस्तुत कर दी गई जिसका प्रकरण क्रमांक 55/अपील/16-17 है । उक्त अपील प्रकरण में निगरानीकर्ता

रजनी वशिष्ठ शर्मा को आज दि. 6/11/17

6/11/17 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. यो.दि. 20-11-17



P. V. Sharma एडवोकेट मोबा. 97542-99447

Handwritten signature

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सीहोर/भूरा/17/4252

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05-03-19	<p>आवेदक पक्ष अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> सी3र</p>	<p> अध्यक्ष</p>